न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 33/2018
GCMS NO. : 2018/00104

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. बोदूराम पुत्र भोलाराम जाति– कुमावत, निवासी– बेरा घोड़ावड़ा वाला(मोहन सागर) निवासी– सरहद मौजा निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान,		1. ककूदेवी पत्नी मुकनाराम जाति– कुमावत, निवासी– निमाज, हाल मुकाम नागौरों का बास, बिलाड़ा, तहसील– बिलाड़ा, जिला– जोधपुर राज0। 2. तहसीलदार, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 15/02/2018

उपस्थितः–

1. श्री चावण्डदान बारहठ, श्री एम.एस. पठान, अधिवक्ता, प्रार्थी ।
2. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, अप्रार्थीया।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 28/12/2021

वकील मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निमाज चक प्रथम में सायल की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 99 बीघा 17 बिस्वा किस्म चाही अव्वल, खसरा नम्बर 4 रकबा 00–01 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा मोहनसागर उर्फ घोड़ावड़ा वाला, खसरा नम्बर 5 रकबा 00–14 बिस्वा किस्म गै0 मु0 सड़ा कुल खसरान नम्बर 3 कुल रकबा 100–12 बीघा भूमि आई हुई है जिसमें सायल 1/4 हिस्से की भूमि का रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि सायल की अविभक्त शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि हैं जिसका आज दिन तक सायल एवं गैरसायल व अन्य सह खातेदारान काश्तकार के मध्य विधिवत् रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकास्मा (बंटवाड़ा) नहीं हो रखा है। ... हिस्से की भूमि जैतारण से निमाज स्टेट हाईवें के पास स्थित ... गैरसायल ककूदेवी ने जरिये नामान्तरकरण (म्यूटेशन) संख्या 2241 के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम अमल दरामद करवाने के बाद सायल के हक हिस्से ... भूमि में दखलांदाजी करने का भरपूर प्रयास किया, तब सायल ने विवादित कृषि भूमि कर विधिवत रूप से बंटवाड़ा करवाने हेतु माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 53/2001 अनवान बोदूराम बनाम मीरा व अन्य बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:30:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जो माननीय न्यायालय में आज दिन तक विचाराधिन है उक्त राजस्व वाद के लम्बित रहते हुए गैरसायल विवादित भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा करवाये बगैर ही राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर रेकर्ड में परिवर्तन करवाने पर आमादा है इसलिए दिनांक 4.02.2018 को गैरसायल ने मेरी हक हिस्से की भूमि पर आकर एलानिया धमकी दी कि मैने भूमि का इकरार बैचान करवा दिया है तथा जल्दी ही भू-माफियों का भूमि की रजिस्ट्री करवा दूंगी, जबकि गैरसायल को बिना बंटवाड़ा करवाये भूमि का बैचान, हस्तान्तरण करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है यदि गैरसायल विवादित कृषि भूमि का बिना बंटवाड़ा करवाये किसी अनजबी व्यक्ति या भूमि-माफियों को भूमि का बैचान या रेकर्ड में रद्दोबदल किया गया तो अजनबी व्यक्ति या भू-माफियों सायल की सड़क के चिपती जमीन पर जबरदस्ती/बलपूर्वक सायल को बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश करेंगें, सायल उनको ऐसा हरगीज नहीं करने देगा, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, सायल को गैरसायल व अन्य भू-माफियाओं के विरुद्ध बार-बार फौजदारी/राजस्व/दिवानी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी व सायल को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है इसलिए लम्बे समय से विचाराधिन राजस्व वाद संख्या 53/2001 का अन्तिम निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का रद्दोबदल करने अथवा करवाने से गैरसायल को रोका जाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायल के पेश है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा काश्त व दस्तावेजात् के आधार पर सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित है गैरसायल को विवादित कृषि भूमि का विधिवत् तकारमा करवाये बगैर किसी अजनबी व्यक्ति या भू-माफियों को बैचान, हस्तान्तरण या रेकर्ड में परिवर्तन करवाने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है यदि गैरसायल द्वारा ऐसा किया गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी, इसलिए अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष में ना होकर सायल के पक्ष में पूर्णतया साबित है। इसलिए राजस्व वाद के अन्तिम निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदल करवाने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के गैरसायल को रोका जावे। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायल के पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा निमाज चक प्रथम में स्थित सायल की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 99 बीघा 17 बिस्वा किस्म चाही अव्वल, [illegible] नम्बर [illegible] रकबा 00-01 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेरा मोहनसागर उर्फ घोड़ावड़ा [illegible] नम्बर 5 रकबा 00-14 बिस्वा किस्म गै0मु0 सड़ा कुल [illegible] रकबा 100-12 बीघा भूमि स्थित है। जिसका विधिवत् रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा होने तक यानि वाद के अन्तिम निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदल/परिवर्तन इत्यादि करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के गैरसायल को रोका जावे, अन्य कोई सहायता सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो तो दिलवायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:30:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी को जवाब प्रार्थनापत्र पेश करनें के अनेकानेक एवं पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं करनें से जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया ककूदेवी विरुद्ध वादग्रस्त आराजी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् हस्तगत प्रार्थनापत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि का अभिलिखित सहखातेदार है। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में विधिवत् बन्ट्वाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र 53/2001 न्यायालय हाजा में जैरकार है। अप्रार्थीया दौराने विचारण प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल करनें एवं अन्य अपरिचित पक्षों को बैचान हस्तान्तरण करनें तथा विशिष्ट भू भाग का कब्जा सुपर्द करवानें पर आमादा है। यदि हो जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता एवं विलम्ब होगा। प्रार्थी अभिलिखित सहखातेदार होनें से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में स्थित है।

हमनें प्रार्थनापत्र एवं उपलब्ध भू अभिलेख का अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 जो कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की है, के अनुसार वादग्रस्त आराजी में मीरा पत्नी लाबू हिस्सा 1/4, मुगना पुत्र रामा हिस्सा 1/4, गेपरराम, बोदूराम पि0 भोला हिस्सा 1/2, बतौर सहखातेदार दर्ज है। इसके आगे कि जमाबन्दीयां या अन्य कोई भू अभिलेख प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। न ही प्रार्थनापत्र में इस सम्बन्ध में कोई कथन अंकित किया है। ऑनलाई डिजिटल जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजी के खसरा 06 का रकबा 0.8094 हैक्टैयर है तथा इससे अन्य खसरे 6/1 से 6/13 भी बने लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में इस बाबत् न तो कोई कथन किया [illegible] न ही कोई स्पष्ट किया है। इसी प्रकार खसरा संख्या 04 व 05 की कि[illegible] क[illegible] गैर मुमकिन बेरा व गैर मुमकिन सड़ा है जिनका बंटवा[illegible] लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्पष्ट है तथा स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला [illegible]त नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 18:30:59 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन :– चूंकि पूर्व विवचेन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थी के पक्ष में ाबित नहीं हुआ है, साथ ही वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी अविभाजित भूमि होनें ा खसरा संख्या 06 से बने नवीन खसरान् के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई थन एवं टिप्पणी नहीं करनें से सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में होना ाबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति :– चुंकि पूर्वविवेचित दोनो बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हुये है ाथ ही प्रार्थी यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहें है कि यदि उनके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती हैं तो उन्हें किस प्रकार अपूर्णीय क्षति होना म्भावित है। जबकि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की अविभाजित सहखातेदारी ूमि है, अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है क प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाना धिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत ारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित हीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी ाफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:30:59 IST
Reason: SelfAttested